विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

क्र- 191 दि. 30/06/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/47
दिनांक 08.05.2026

आवेदक

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत, डौण्डी लोहारा, जिला बालोद
बी.पी. नं. **1001969149**,
मो नं. **9589845434**

विरूद्ध

अनावेदकगण

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., बालोद

सहायक अभियंता उपसंभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., डौंडीलोहारा

विषय :– नगर पंचायत डौण्डी लोहारा के सड़क बत्ती हेतु स्थापित 4 किलोवाट के विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग संबंधी अनियमितता के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 26.06.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह अभ्यावेदन किया गया कि बी.पी. क्रमांक 1001969149 से संबंधित सड़क बत्ती विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग में अनियमितता होने के कारण त्रुटिपूर्ण विद्युत देयक जारी किए जा रहे हैं। अतः पूर्व अवधि की बिलिंग का परीक्षण कर संशोधित विद्युत देयक जारी किए जाने की प्रार्थना की गई।

फोरम द्वारा उक्त परिवाद को प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/47 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम दुर्ग

2. प्रकरण की कार्यवाही

दिनांक 19.05.2026 को प्रथम सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदकों का प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 17.06.2026 को आयोजित की गई, जिसमें भी आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदकों की ओर से सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता, उपसंभाग डौण्डी लोहारा उपस्थित हुए।

फोरम द्वारा अनावेदकों को निर्देशित किया गया कि प्रकरण से संबंधित बिलिंग अभिलेख, पिछले तीन वर्षों के बिलिंग गणना पत्रक एवं मीटर रीडिंग संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ।

दिनांक 24.06.2026 को अनावेदकों द्वारा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार बी.पी. क्रमांक 1001969149 में स्थापित पुराने ळम्छन्ै मीटर को दिनांक 23.08.2025 को स्मार्ट मीटर से प्रतिस्थापित किया गया। पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग 93643 थी, जबकि बिलिंग 92584 तक की गई थी। शेष 1059 यूनिट की अतिरिक्त बिलिंग की गई। अनावेदकों द्वारा यह भी बताया गया कि पुराने मीटर में पावर फैक्टर की रीडिंग उपलब्ध नहीं थी तथा स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात एम.डी. एवं पी. एफ. की रीडिंग दर्ज की जा रही है तथा पावर फैक्टर अधिक होने पर नियमानुसार छूट प्रदान की जा रही है।

3. फोरम का परीक्षण एवं निष्कर्ष

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों, बिलिंग गणना पत्रक, मीटर रीडिंग एवं पक्षकारों के कथनों के परीक्षण से फोरम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचता है

1. अनावेदकों द्वारा यह कथन प्रस्तुत किया गया कि पुराने मीटर में पावर फैक्टर की रीडिंग उपलब्ध न होने के कारण पावर फैक्टर के आधार पर कोई बिलिंग नहीं की गई। किन्तु फोरम द्वारा प्रस्तुत बिलिंग गणना पत्रक के परीक्षण से यह पाया गया कि संबंधित अवधि में पावर फैक्टर सरचार्ज की बिलिंग की गई है। जबकि उस अवधि में पावर फैक्टर की रीडिंग उपलब्ध नहीं थी। अतः बिना पावर फैक्टर रीडिंग के पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया जाना प्रचलित टैरिफ प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम दुर्ग

2. स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात माह फरवरी 2026, मार्च 2026 एवं अप्रैल 2026 में अधिकतम मांग (MD) लगातार 5 किलोवाट दर्ज हुई है। प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार ऐसी स्थिति में वितरण कंपनी द्वारा अनुबंधित भार के स्व–निर्धारण (Load Regularisation/Self Determination) की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित था। अभिलेखों से ऐसी कार्यवाही किए जाने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

3. प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि पुराने मीटर तथा स्मार्ट मीटर द्वारा दर्ज ऊर्जा खपत में किसी प्रकार की विसंगति अथवा मीटर रीडिंग संबंधी त्रुटि नहीं पाई गई। अतः ऊर्जा मापन सही पाया गया।

अतः फोरम निम्न आदेश पारित करता है–

1. अनावेदक अवधि का जिसमें पावर फैक्टर की रीडिंग उपलब्ध नहीं थी। उस अवधि में पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया गया है, उसे प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार संशोधित करते हुए 30 दिवस के भीतर संशोधित विद्युत देयक जारी करें।

2. अनावेदक माह फरवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक दर्ज अधिकतम मांग (डक) का परीक्षण कर प्रचलित टैरिफ आदेश एवं विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार अनुबंधित भार के स्व–निर्धारण/पुनर्निर्धारण की आवश्यक कार्यवाही करें तथा उसका प्रभाव आगामी बिलिंग में नियमानुसार परिलक्षित करें।

3. प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर मीटर रीडिंग एवं ऊर्जा मापन में किसी प्रकार की अनियमितता सिद्ध नहीं होती। अतः इस संबंध में आवेदक का दावा स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

4.उपरोक्त मदों में की गई अतिरिक्त राशि की वसूली को आगामी विद्युत देयकों में समायोजित किया जाए।

5. समस्त कार्यवाही एवं संशोधित बिल जारी करने की प्रक्रिया आदेश की प्रति प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर पूर्ण की जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

6. उपरोक्त आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया जाता है।

7. प्रकरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवेदनों के आधार पर निराकृत।

8.यदि शिकायतकर्ता/आवेदक फोरम द्वारा पारित उक्त आदेष से असंतुष्ट हो तो माननीय विद्युत लोकपाल रायपुर के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम दुर्ग

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग